संख्या-164/2016/1859/नौ-5-2016-15बजट/2016

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः: दिनांक 17 जून, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-43/डी/एन.एस-4 दिनांक 28.11.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष कुल **रू. 34.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू. 17.15 (रू. सत्रह लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण एवं शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. में)

जनपद/ निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त होने वाली धनराशि
1	2	3	4
नगर निगम, लखनऊ	1. बाबू जगजीवन राम वार्ड (जोन-4) इन्दिरा नगर सेक्टर-25 में 25/101 से म0सं0 25/18 तक नाली, सड़क व इंटरलाकिंग द्वारा गली का निर्माण कार्य	8.29	
	2. बाबू जगजीवन राम वार्ड (जोन-4) इन्दिरा नगर सेक्टर-25 में स्मृति बिहार पार्क के बगल वाली गली का सुधार कार्य	9.11	
	3. बाबू जगजीवन राम वार्ड (जोन-4) इन्दिरा नगर सेक्टर-16 में म0सं0 16/871 से 16/800 के सामने तक वाली सड़क का सुधार कार्य	7.28	
	4. बाबू जगजीवन राम वार्ड (जोन-4) के अन्तर्गत म0सं0 25/72 से होते हुए 25/82 के तक सड़क का सुधार कार्य	3.34	
	5. बाबू जगजीवन राम वार्ड (जोन-4) इन्दिरा नगर सेक्टर-16 में म0सं0 16/371 से 16/800 के सामने तक वाली सड़क का सुधार कार्य	5.96	
	एक प्रतिशत लेबर सेस	0.33	
	योग	34.31	17.15

(रू सत्रह लाख पन्द्रह हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा नगर

निगम, लखनऊ के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।

4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्पले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-12-2016 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-/2016/1बी 2016/231-2016-दस/746-1-दिनांक 22 मार्च 20 16 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-164/2016/1859(1)/नौ-5-2016-15बजट/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5. महापौर, नगर निगम, लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

16.06.2016

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-17/06/2016

प्रेषण संख्या:- 164

आवंटन आदेश संख्या:- 001-164-2016-1859-9-5-2016-15B-16

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

80 - सामान्य

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1715000 166253000	1715000 166253000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1715000 166253000	1715000 166253000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्रह लाख पन्द्रह हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ बासठ लाख तिरेपन हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी